



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ-250110

आवश्यक सूचना

पत्रांक : सवप/2026/बी030/1207
दिनांक : 20/04/2026

खुली बोली नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के बीज विधायन केन्द्र पर निम्न खाद्यान्नों की नीलामी खुली बोली के आधार पर होनी है जिसका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	खाद्यान्नों का विवरण	अनुमानित मात्रा (कु0 में)
1.	गेहूँ मिक्सचर	360.00
2.	धान छानस	285.00
3.	उर्द छानस	4.00
4.	मूँग छानस	4.00
5.	अरहर छानस	2.40
6.	अरहर मिक्सचर	0.70
7.	सरसों मिक्सचर काली	4.00
8.	सरसों मिक्सचर पीली	0.38
9.	चना मिक्सचर	1.20
10.	मसूर मिक्सचर	0.20
	योग	661.88
11.	कटे फटे अनउपयुक्त गनी बैग	4 कुन्तल

कृपया उक्त खाद्यान्नों की खुली बोली नीलामी दिनांक 27/04/2026 को 11:00 (a.m.) बजे बीज भण्डार गृह पुराना परिसर कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में की जायेगी। इच्छुक अधिकृत क्रेता समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

- उत्पाद जहाँ है जैसा है, के आधार पर बिक्री हेतु प्रस्तावित है। अधिकृत क्रेता नीलामी में भाग लेने से पूर्व उपलब्ध खाद्यान्नों का भली भाँति निरीक्षण कर लें, बाद में उत्पाद की गुणवत्ता आदि पर विचार नहीं होगा। इच्छुक अधिकृत क्रेता विश्वविद्यालय के बीज भण्डार गृह पर उपलब्ध उत्पादों का कार्यालय दिवस/समय में निरीक्षण कर लें।
- मात्रा निर्गत करते समय घट या बढ़ सकती है। सफलतम क्रेता को तदानुसार मात्रा की कीमत जमा करनी होगी।
- नीलामी हेतु जमानत धनराशि रू0 25,000/- राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जोकि वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में देय हो, नीलामी के दिन पंजीकरण के समय जमा करना अनिवार्य है।
- खुली बोली दाता बीज विधायन कार्यालय पर दिनांक 27/04/2026 को प्रातः 10:30 बजे पहुँचकर अपना पंजीकरण कराएँगे।
- खाद्यान्नों की मात्रा व गुणवत्ता का अवलोकन दिनांक 21/04/2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से किया जा सकता है।
- निविदादाता को खाद्यान्न क्रय विक्रय करने के लिए जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमात्र-पत्र/मण्डी समिति का लाइसेन्स एवं पैनकार्ड की प्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है।
- नीलामी में उच्चतम बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म को आवंटित खाद्यान्नों की सम्पूर्ण धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त तत्काल नीलामी वाले दिन (दिनांक 27/04/2026) को ही विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी, ऐसा न करने पर धरोहर धनराशि के रूप में जमा रू0 25,000 का डिमान्ड ड्राफ्ट जब्त कर लिया जायेगा एवं द्वितीय उच्च दरों वाली फर्म पर विचार किया जायेगा। उच्चतम बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म द्वारा जमा किये गये रू0 25,000 का डिमान्ड ड्राफ्ट सम्पूर्ण खाद्यान्न उठाने तक धरोहर राशि के रूप में जमा रहेगा।
- मा0 कुलपति, स.व.प.कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही उच्चतम दरें मान्य होंगी।
- खाद्यान्न की मात्रा जहाँ है, जैसा है की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृति के बाद एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय में जमा कर अपने वारदाने में उठाना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर मात्रा को न उठाने पर रू0 10 प्रति कुन्तल की दर से प्रतिदिन का भण्डारण शुल्क अलग से देय होगा। बीस दिन के अन्दर न उठाने पर जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- खुली बोली नीलामी में मंडी दरों का भी संज्ञान लिया जायेगा एवं समिति द्वारा उपरोक्त वर्णित खाद्यान्नों का आधार मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। उक्त आधार मूल्य से ही नीलामी की बोली शुरू होगी।
- खुली बोली नीलामी की कार्यवाही को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण कार्यवाही को बिना कारण बताये निरस्त करने का सर्वाधिकार मा0 कुलपति, स.व.प.कृषि एवं प्रौद्यो. विश्वविद्यालय, मेरठ को होगा।